फर्द अहकामे

प्रकरण सं0 23/2023

बनाम श्री देवीलाल

श्री लादूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
7/5/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी अनु। प्रकरण वकील वादी को विधिवत रूप से आवाज लगाकर एवं देखी स्थिती में प्रकरण अग्रिम दादी अग्रिम पेशी में खारिज किया जाता जिला प्रतीत होता है। अतः वादी व वादी वकील अनुपस्थित रहने से प्रकरण अग्रिम दादी अग्रिम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कंप्यूटर अनुसार दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)	